पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दिव्या कुमारी एवं अन्य.

बनाम

जुगेश्वर नाथ श्रीवास्तव

2023 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार मामला सं.4663

11 जून, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलीय न्यायालय ने शीर्षक अपील के लंबित रहने के दौरान भूमि के नए वैज्ञानिक माप के लिए आदेश XXVI नियम 10A दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने में गलती की, इस आरोप के बावजूद कि पहले की सर्वेक्षण प्रतिवेदन अधूरी, मिलीभगत वाली या अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थीं।

हेडनोट्स

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश XXVI नियम 10A – सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति – अपीलीय चरण में विवेक – यदि पूर्व अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी जाती है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा – यह माना गया कि वैज्ञानिक माप के लिए पहले के आवेदनों को विचारण न्यायालय द्वारा तीन बार खारिज कर दिया गया है और अपील में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए नए माप की मांग की आड़ में अपीलीय चरण में इसे फिर से नहीं उठाया जा सकता है। याचिकाकर्ता पहले से चिह्नित और प्रदर्शित सर्वेक्षक प्रतिवेदन में किसी भी अवैधता को इंगित करने में विफल रहे। [कंडिका 33, 35, 39, 40]
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 105 – अंतरिम आदेशों को चुनौती – केवल अंतिम विलेख के विरुद्ध अपील में अनुमेय – निर्णय में कहा गया कि सर्वेक्षण के लिए पूर्व आवेदनों को अस्वीकार करने सहित मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूर्ववर्ती अंतरिम आदेशों को

चुनौती देने में विफलता, किसी पक्ष को अपीलीय कार्यवाही के दौरान धारा 105 सीपीसी के तहत पुनः उसी मुद्दे को उठाने से रोकती है। [कंडिका 35, 39] दीवानी प्रक्रिया – पूर्वन्याय और छूट – बार-बार सर्वेक्षण आयोग के अनुरोधों पर प्रयोज्यता – यह माना गया कि पिछले मापों पर निर्णय होने और उन्हें चुनौती न दिए जाने के बाद नए मापों के लिए बार-बार आवेदन दाखिल करना, पूर्वन्याय और छूट के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। यदि परीक्षण के दौरान समय पर आपत्ति नहीं की गई तो माप प्रतिवेदनों पर अपीलीय चरण में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। [कंडिका 33, 34, 39] न्यायिक विवेक – अपीलीय न्यायालय का निपटारे किए गए साक्ष्य संबंधी मामलों को फिर से खोलने से इनकार – अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप योग्य नहीं – न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय ने नए सर्वेक्षण की अनुमति देने से इंकार करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि विचारण न्यायालय पहले ही मौजूदा प्रतिवेदनों की पर्याप्तता पर निर्णय दे चुकी है। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। [कंडिका 40, 42]

न्याय दृष्टान्त

आरवीई वेंकटचला गौंडर बनाम अरुल्मिगु विश्वेसरस्वामी और वीपी मंदिर , **(2003) 8 एससीसी 752** – लागू; गोपाल दास बनाम ठाकुरजी , **एआईआर 1943 पीसी 83** - अनुसरण किया गया; कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य , **(2007) 11 एससीसी 447** – लागू; यूपी एसआरटीसी बनाम यूपी राज्य , **एआईआर 2005 एससी 446** – लागू; दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , **(2010) 2 एससीसी 114** – लागू; सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय बनाम यूओआई , **(2019) 14 एससीसी 761** – लागू; जय सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम , **(2010) 9 एससीसी 385** – लागू; श्रीमती. सुखरानी बनाम हरि शंकर , **एआईआर 1979 एससी 1436** – संदर्भित; डॉ. विजय कुमार जैन बनाम शकुंतला देवी , **2005 (1) पीएलजेआर 11** – प्रतिष्ठित; यासीन गुलाब शिकालकर बनाम मारुति नागनाथ अवेयर , **डब्ल्यूपी नंबर 7278/2022 (बॉम एचसी)** - प्रतिष्ठित

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 190; भारत का संविधान; संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882

मुख्य शब्दों की सूची

आदेश XXVI नियम 10A; सर्वेक्षण जानने वाला आयुक्त; पूर्वन्याय; छूट; अनुच्छेद 227; अंतरिम आदेश; वैज्ञानिक माप; सर्वेक्षण प्रतिवेदन; अपीलीय चरण; भूमि सीमांकन

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-VI, दानापुर , पटना द्वारा शीर्षक अपील संख्या 79/2019 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2023

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री शशि नाथ झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री गिरीश पांडे

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 572

==========

1. दिव्या कुमारी, पति- श्री ब्रजेश कुमार, माता- स्वर्गीय सुधा देवी और पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद
2. (सुश्री) दीप्ति कुमारी, माता- स्वर्गीय सुधा देवी और पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद
3. सुशांत कुमार, पिता- स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद, सभी निवासी - मोहल्ला- भीम शनि टोला, डाकघर- मालसलामी, थाना-मालसलामी, जिला- पटना (बिहार) । वर्तमान निवासी- 3 एसएफएस, बी-1/5, भूतनाथ रोड, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना- अगम कुआं, जिला- पटना। मुख्तारनामा धारक श्री जंग बहादुर सिंह, पिता- स्वर्गीय रामयश सिंह, निवासी-"साईंकृपा", वेद नगर, रुकनपुरा, बी.वी.कॉलेज, थाना- रूपसपुर, बेली रोड, दानापुर, जिला-पटना-14 के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

श्री जुगेश्वर नाथ श्रीवास्तव, पिता- स्वर्गीय ओंकार नाथ श्रीवास्तव, निवासी- मोहल्ला-नया टोला, रघुनाथ पेट्रोल पंप के पास सगुना मोड़, थाना-दानापुर, बेली रोड, जिला-पटना (बिहार)।

... . उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शशि नाथ झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री गिरीश पांडे

==========

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी ए वी निर्णय

दिनांक : 11-06-2024

वर्तमान याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत विद्वान

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-VI, दानापुर, पटना द्वारा शीर्षक अपील संख्या 79/2019 (दिव्या कुमारी एवं अन्य बनाम जुगेश्वर नाथ श्रीवास्तव) में पारित दिनांक 17.01.2023 के आदेश के उस भाग को दरकिनार करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 07.04.2022 को विचाराधीन भूमि के वैज्ञानिक मापन के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को विवादित भूमि के भूखंड का वैज्ञानिक मापन करने के लिए एक सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश 26 नियम 10 ए के तहत दायर याचिका कर्ताओं की दिनांक 07.04.2022 की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है।

2. पक्षकारों के मामले का सार यह है कि वर्ष 2011 में, वादीगण द्वारा दानापुर, पटना के विद्वान उप न्यायाधीश की न्यायालय में 2011 की स्वामित्व वाद सं. 112 (श्रीमती सुधा देवी एवं अन्य बनाम जुगेश्वर नाथ श्रीवास्तव) दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्वामित्व की घोषणा और अतिक्रमण हटाने के लिए एक डिक्री की मांग की गई थी और साथ ही उत्तरदाता द्वारा वाद भूमि पर किए गए मकान/दुकान के निर्माण को हटाने की भी मांग की गई थी। वाद की अनुसूची-1 में, वादीगण ने उत्तरदाता द्वारा अतिक्रमित 1.5 कट्ठा भूमि का वर्णन किया है। वाद के लंबित रहने के दौरान, वादीगण ने संशोधन के माध्यम से अनुसूची-II में उत्तरदाता द्वारा किए गए अवैध निर्माण का वर्णन किया, जो मैदान की अनुसूची-I भूमि का अभिन्न अंग है। उत्तरदाता उपस्थित हुआ और वाद का विरोध करते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया। वाद के लंबित रहने के दौरान, मूल वादीगण 1 और 2 (सुधा देवी और देवेंद्र प्रसाद) की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनकी दो बेटियों दिव्या कुमारी और दीप्ति कुमारी को नियुक्त किया गया। इसके बाद, 28.12.2012 के मुख्तारनामा के तहत, मूल वादी संख्या 1 और 2 के सभी तीनों उत्तराधिकारियों, जिनमें वादी

संख्या 3, अर्थात् सुशांत कुमार भी शामिल हैं, ने जंग बहादुर सिंह के पक्ष में एक नया मुख्तारनामा दिया , जो तब से मालिकाना हक के मुकदमे के साथ-साथ मालिकाना हक की अपील में भी मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खाता संख्या 144 के अंतर्गत 33 कट्ठा 3 धूर ज़मीन का एक टुकड़ा मौज़ा-सगुना, दानापुर,पटना में स्थित है, जिसमें से वादी/अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता का 8 कट्ठा 3 धुर ज़मीन पर दावा है, जबकि उत्तरदाता का उसी प्लॉट संख्या 363 (भाग) में 25 कट्ठा ज़मीन पर दावा है। वादीगण ने दावा किया कि उत्तरदाता ने 1.5 कट्ठा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और उसे हटाने और पुनःस्थापित करने के लिए, वादीगण द्वारा मुकदमा दायर किया गया है।

3. वादीगण का आगे का मामला यह है कि वादीगण ने अपनी 8 कट्ठा 3 धुर ज़मीन पर, वर्ष 2003 में ही, केंद्र से केंद्र तक 7 फीट की दूरी पर लगभग 8 फीट गहरी पिलिंग का काम करवाया था, लेकिन वादीगण ने कोई चारदीवारी नहीं बनवाई। हालांकि, वादीगण ने दावा किया कि उत्तरदाता, जो वादीगण की ज़मीन से पश्चिम में उसी भूखंड के एक बड़े क्षेत्र का मालिक है, ने 23.01.2011 को लगभग 1 कट्ठा 10 धुर ज़मीन पर अतिक्रमण करके जबरन चारदीवारी बनवा दी और इस तरह, उत्तरदातागण ने अतिक्रमित ज़मीन को अपनी ज़मीन में मिला लिया। याचिकाकर्ताओं ने आगे दावा किया कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान वादी के कहने पर (गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसा कि बाद में स्पष्ट हो जाएगा), एक प्लीडर आयुक्त को अतिक्रमित भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन प्लीडर आयुक्त ने भूमि की वैज्ञानिक माप नहीं की और उत्तरदाता के साथ मिलीभगत करके एक त्रुटिपूर्ण और अवैध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद, वादी के कहने पर और विद्वान विचारण न्यायालय के निर्देशानुसार, संबंधित अंचल अधिकारी ने उत्तरदाता द्वारा किए गए अतिक्रमित क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक सरकारी अंचल अमीन की नियुक्ति की। वादीगण ने आगे दावा किया कि बाद में 31.08.2018 को,विद्वान विचारण न्यायालय ने अंचल अधिकारी, दानापुर को वादीगण के खर्च पर भूमि की

माप कराने का निर्देश दिया और सरकारी अमीन ने माप के लिए मौके का दौरा किया, लेकिन उत्तरदातागण और उनके निजी अमीन ने सरकारी अमीन को कुल विवादित भूमि अर्थात 33 कट्ठा और 3 धुर की पूरी और वैज्ञानिक तरीके से माप करने से रोक दिया और सरकारी अमीन ने 15.09.2018 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले पर विचार किया और दिनांक 03.08.2019 के निर्णय और डिक्री द्वारा वादीगण के मुकदमे को खारिज कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, वादीगण ने शीर्षक अपील संख्या 79/2019 दायर की, जो अपर जिला न्यायाधीश-VI, दानापुर, पटना की विद्वान न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। स्वामित्व अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी/अपीलकर्ताओं ने संहिता के आदेश 26 नियम 10A के तहत 07.04.2022 को एक याचिका दायर की ताकि संबंधित संपूर्ण भूखंड का वैज्ञानिक मापन किया जा सके ताकि भूखंड संख्या 363 के कुल क्षेत्रफल का वैज्ञानिक मापन किया जा सके। उत्तरदाता/उत्तरदाता द्वारा 20.04.2022 को एक प्रत्युत्तर दायर किया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 07.04.2022 के आवेदन को 17.01.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को वर्तमान दीवानी विविध याचिका में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस. अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश पारित करते समय, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा और संहिता के आदेश 26 नियम 10 ए के तहत दायर दिनांक 07.04.2022 की याचिका को कमजोर और अस्थिर आधार पर खारिज कर दिया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के वैज्ञानिक मापन के लिए प्रार्थना को खारिज करते समय उल्लिखित सभी आधार अनुचित, मनमाने और सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए यह मानने का कोई औचित्य नहीं था कि दिनांक 07.04.2022 के आवेदन को स्वीकार

करने से, मापन से संबंधित पहले से ही सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोला/पुनर्जीवित किया जाएगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान एकत्रित साक्ष्य उत्तरदाता/उत्तरदाता द्वारा किए गए अतिक्रमण के प्रश्न का निर्णय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। चूँकि पूरा मामला और याचिकाकर्ताओं का दावा उत्तरदाता द्वारा वादी/अपीलकर्ताओं की 1 कट्ठा 10 धूर भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर आधारित है, इसलिए किसी भी स्थिति में, अपीलीय स्तर पर भी वैज्ञानिक माप आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय वादी/याचिकाकर्ताओं के अधिकार, स्वामित्व, हित और कब्जे की रक्षा करने में विफल रहा है और न्याय एवं समता के हित में, एक सक्षम सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा भूखंड संख्या 363 से संबंधित भूमि के संपूर्ण क्षेत्रफल अर्थात 33 कट्ठा 3 धूर का माप करवाना आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाता ने लिखित बयान में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि उनके विक्रेता बब्बन सिंह, जो 8 कट्ठा 3 धुर ज़मीन के खरीदार थे और 1973 से इस ज़मीन के कब्ज़े में थे, ने कभी भी इस बारे में कोई विवाद नहीं उठाया कि उत्तरदाता के पास अतिरिक्त ज़मीन का कब्ज़ा है या उसने वादी की ज़मीन के किसी हिस्से पर अतिक्रमण किया है। लेकिन पूरा मामला तब उठा जब वादी ने ज़मीन खरीदी और उत्तरदाता ने वर्ष 2011 में एक चारदीवारी का निर्माण किया। उत्तरदाता ने अपने लिखित बयान के कंडिका 30 में यह भी कहा है कि उत्तरदाता किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति द्वारा प्लॉट संख्या 363 के 25 कट्ठा की माप और सीमांकन के लिए तैयार था और जब वादी/अपीलकर्ताओं ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह मांग उठाई, तो उत्तरदाता ने इसका कड़ा विरोध किया, जो कि उत्तरदाता द्वारा अपने लिखित बयान में सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति को स्वीकार करने के मद्देनजर उचित नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त के पूर्व प्रतिवेदन के मात्र अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदन

त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कोई दूसरा निश्चित बिंदु निर्धारित नहीं किया गया था। हालांकि, वादी की भूमि का क्षेत्रफल 7 कट्ठा 6 धुर और 9 धुरकी पाया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि सरकारी अमीन के प्रतिवेदन के अवलोकन से भी यह पता चलता है कि उक्त प्रतिवेदन उत्तरदाता के निर्देश पर था क्योंकि उत्तरदाता ने माप को केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित रखा था जिस पर निर्माण किया गया था और केवल आसन्न भूमि तक ही। उत्तरदाता ने अमीन द्वारा निर्धारित बिंदु निर्धारित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। इस प्रतिवेदन में भी वादी की भूमि का क्षेत्रफल 7 कट्ठा 1 धुर पाया गया, इसलिए वादी की भूमि उनकी खरीदी गई भूमि से कम पाई गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि वैज्ञानिक माप के लिए विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा जारी रिट को भी अंचल अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूँकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मुकदमे की निरंतरता है, इसलिए मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत पूर्व सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त या अंचल अमीन की प्रतिवेदन वर्तमान अपीलीय क्षेत्राधिकार में पूर्वन्याय के रूप में कार्य नहीं करेगी। इसके अलावा, मुकदमे के दौरान पारित कोई भी अंतरिम आदेश मुकदमे के बाद के चरण में पूर्वन्याय के रूप में कार्य नहीं करता है और इसलिए, प्लीडर आयुक्त और अंचल अमीन के पूर्व प्रतिवेदनों के संबंध में अंतिम निर्णय प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। साथ ही, विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, यदि वही प्रश्न/मुद्दे उसी मुकदमे/कार्यवाही के तहत उच्च अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में फिर से उठाए जाते हैं।

5.श्री अरोड़ा ने इस न्यायालय के ***डॉ. विजय कुमार जैन बनाम श्रीमती शकुंतला देवी*** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया, जो ***2005 (1) पीएलजेआर 11*** में प्रतिवेदित किया गया था, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना था कि अपील के चरण में भी, अपीलीय न्यायालय संहिता के आदेश 41 नियम 27 (1) (बी) के साथ पठित आदेश 26 नियम 9 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ताकि संबंधित भूखंड का

आवश्यक माप लेकर अतिक्रमण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति की जा सके।

6. श्री अरोड़ा ने आगे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ***यासीन गुलाब शिकालकर बनाम मारुति नागनाथ अवारे एवं अन्य*** के मामले में दिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया। ***रिट याचिका संख्या 7278/2022,*** जिसका निपटारा 25.01.2023 को हुआ था, जिसमें कुछ हद तक समान परिस्थितियों में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट को स्वीकार कर लिया और विद्वान जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान भूमि की माप के लिए न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय आयुक्त स्थल की सही स्थिति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय को स्वयं एक अन्य न्यायालय आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार है और *पूर्वन्याय* के सिद्धांत के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पूर्व में किया गया मापन त्रुटिपूर्ण था, तो अपीलीय न्यायालय को नए सिरे से सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के आवेदन को स्वीकार करना चाहिए था।

7.श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्तों और अंचल अमीन के प्रतिवेदनों में मूल दोष यह है कि वे वादग्रस्त भूखंड के कुल क्षेत्रफल को मापने में विफल रहे और उसके बाद वादी और उत्तरदाता के कब्जे वाले क्षेत्र को मापा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

8. श्री अरोड़ा ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***श्रीमती सुखरानी(मृत) बनाम हरि शंकर एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया, जो ***एआईआर 1979 एससी 1436*** में दर्ज है, जिसमें यह माना गया है कि किसी मुकदमे के प्रारंभिक चरण में दिया गया निर्णय उसी मुकदमे के बाद के चरणों में पक्षकारों को बाध्य करेगा। आगे यह भी माना गया है कि यह भी समान रूप से स्थापित है कि चूँकि किसी मामले का निर्णय

प्रारंभिक चरण में एक मध्यवर्ती आदेश द्वारा किया जा चुका है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है या कोई अपील नहीं हुई है, इसलिए उच्च न्यायालय को उसी मुकदमे के बाद के चरण में मामले पर फिर से विचार करने से नहीं रोका जा सकता है।

9. श्री अरोड़ा ने इस न्यायालय द्वारा ***बाल मनोहर जालान बनाम डॉ. ब्रज नंदन सहाय एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया, जो ***2012 (3) पी एल जे आर 221*** में इस प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया था कि यदि न्यायालय विवादित संपत्ति पर अतिक्रमण का पता लगाने की स्थिति में नहीं है, तो विवादित भूमि की पहचान सत्यापित करने के लिए, प्लीडर आयुक्त का प्रतिवेदन प्राप्त करना वांछनीय होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि न्यायालय ने प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर इस आधार पर निर्णय देने से इनकार कर दिया कि पूर्व याचिका, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था, को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी और यदि न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया है, तो अस्वीकृति आदेश स्थायी नहीं है और रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

10. श्री अरोड़ा ने दोहराया कि जब भूमि की पहचान का विवाद होता है और अतिक्रमण का आरोप लगता है, तो सबसे अच्छा सबूत सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति करके प्रतिवेदन प्राप्त करना है। इस प्रकार, श्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश अवैध है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसे दरकिनार कर दिया जाए और सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन की अनुमति दी जाए।

11. *इसके विपरीत,* उत्तरदाता/उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क का कड़ा विरोध किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाता ने वर्ष 1972 में 25 कट्ठा ज़मीन खरीदी और उसके बाद उस पर कब्ज़ा कर लिया। मूल वादी बबन सिंह के विक्रेताओं

ने 8 कट्ठा और 3 धुर ज़मीन खरीदी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विभिन्न भूखंडों की खरीद के बारे में पक्षों के बीच एक अन्य मामले में विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय ने दीवानी विविध संख्या 578/2023 में पारित दिनांक 05.01.2024 के निर्णय द्वारा किया था। वादी ने वर्तमान मामला गलत तर्क के साथ दायर किया है क्योंकि वे 2023 की दीवानी विविध संख्या 578 के याचिकाकर्ता मूल वादी सुधा देवी और सुशांत कुमार के बाद के खरीदार हैं और उन्होंने मिलकर अलग-अलग विक्रय विलेखों के माध्यम से केवल 7 कट्ठा 13 धूर ज़मीन खरीदी। यदि वादी संख्या 1 और 3 के विक्रेताओं द्वारा खरीदी गई ज़मीन को मूल विक्रेता बब्बन सिंह द्वारा खरीदी गई ज़मीन से घटा दिया जाए, तो केवल 10 धूर ज़मीन ही बचेगी। अतः, 1.5 कट्ठा ज़मीन पर अतिक्रमण के बारे में मूल वादियों का दावा पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है और ऐसा ही उन विक्रेताओं का दावा भी है जो विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं।

12. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में निष्पक्षता से आवेदन नहीं किया है और इस न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में भी गलत दलीलें दी हैं। मूल वादी संख्या 3 (यहां याचिकाकर्ता संख्या 3) और प्रतिस्थापित वादी संख्या 1 और 2 ने सामान्य मुख्तारनामा धारक, अर्थात् जंग बहादुर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के पक्ष में बिक्री के पांच पंजीकृत विलेखों के निष्पादन के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, लेकिन मूल वादी या प्रतिस्थापित वादी ने इस तथ्य को न तो विचारण न्यायालय और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के संज्ञान में लाया। यहां तक कि सामान्य मुख्तारनामा धारक ने भी इस तथ्य को विद्वान विचारण न्यायालय या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया और न ही इस संबंध में कोई कथन इस दीवानी विविध याचिका में दिया गया है। मूल वादीगण ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत अपेक्षित विद्वान विचारण न्यायालय की अनुमति भी नहीं ली थी, जो कि मुकदमे की संपत्तियों की बिक्री से पहले आवश्यक थी।

13. श्री श्रीवास्तव ने दलील दी कि कानून सुस्थापित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह माना है कि न्यायालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति को साफ-सुथरे हाथों से आना चाहिए और ऐसे पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना उस पक्ष को किसी भी राहत से पूरी तरह वंचित कर देता है। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***यशोदा बनाम सुखविंदर सिंह एवं अन्य (दीवानी अपील संख्या 8247/2009)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।

14. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना धोखाधड़ी के बराबर है और इस कारण से, याचिकाकर्ताओं का मामला न्यायालय से बाहर किए जाने योग्य है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

15. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दिया कि याचिकाकर्ताओं ने तत्काल नागरिक विविध याचिका के कंडिका 10 में फिर से गलत बयान दिया है कि सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त को वादी/याचिकाकर्ताओं के कहने पर नियुक्त किया गया था, जबकि सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त को उत्तरदाता/उत्तरदाता के कहने पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं को शपथ पर झूठा बयान देने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

16. श्री श्रीवास्तव ने आगे बताया कि इस मामले को सामान्य मुख्तारनामा धारक द्वारा लड़ा जा रहा है और जब वादी द्वारा पूरी संपत्ति को अलग कर दिया गया है, तो सामान्य मुख्तारनामा धारक को कोई अधिकार नहीं है। उस दिनांक को, जब सामान्य मुख्तारनामा को निष्पादित किया गया था, पूरी वाद संपत्ति को बेच दिया गया था और इस तरह, सामान्य मुख्तारनामा का निष्पादन शुरू से ही शून्य था और कानून की नजर में शून्य था।

17. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि मूल वादी के पक्ष में बब्बन सिंह द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों या बाद के खरीदारों के बिक्री विलेखों में किसी भी अतिक्रमण के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है।

18. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान दीवानी विविध याचिका में एक पूरी तरह से फर्जी मामला दायर किया है। सरकारी अमीन की नियुक्ति की गई और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया , जिसे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श 10 के रूप में चिह्नित किया गया था और उक्त प्रदर्श वादी के कहने पर बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। यदि उक्त दस्तावेज़ बिना किसी आपत्ति के सुनवाई के समय प्रदर्शित किया गया था, तो वादी को अपीलीय स्तर पर उक्त प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसी प्रकार, वादी द्वारा सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त (प्रदर्श बी) के प्रतिवेदन पर उठाई गई आपत्ति को विद्वान विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उसे चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, उक्त प्रतिवेदन अंतिम हो गया । इसलिए, याचिकाकर्ताओं को कानूनी तौर पर प्लीडर आयुक्त के प्रतिवेदन या अंचल अमीन के प्रतिवेदन को चुनौती देने से रोका गया है। *पूर्वन्याय* के सिद्धांत भी लागू होंगे। इसके अलावा, चूँकि मूल वादीगण ने संपूर्ण वाद संपत्तियों को अलग कर दिया है, वह भी विद्वान विचारण न्यायालय के प्राधिकार के बिना, उन्हें दिनांक 07.04.2022 की याचिका को कायम रखने से रोका गया है।

19. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि दोनों प्रतिवेदनों में, उत्तरदाता की ज़मीन भी 25 कट्ठा से कम पाई गई। वादी/याचिकाकर्ताओं द्वारा बार-बार किए गए प्रयास, कार्यवाही को लटकाने और शीर्षक अपील संख्या 79/2019 की सुनवाई और निपटारे में देरी करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के अलावा और कुछ नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को भी दबा दिया है जैसे कि विद्वान उप न्यायाधीश-III, दानापुर के स्वत्व वाद संख्या 112/2011 में दिनांक 27.01.2015 का आदेश जिसमें याचिकाकर्ताओं की याचिका को आदेश 26 नियम 10 (ए) और संहिता की धारा 151 के तहत दायर किया गया था और 2011 के स्वत्व वाद संख्या 112 में विद्वान उप न्यायाधीश II, दानापुर, पटना द्वारा पारित 17.07.2018 का आदेश भी खारिज कर दिया गया था। इन

दोनों आदेशों ने सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त के प्रतिवेदनों को चुनौती दी और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, 17.07.2018 के आदेश के अनुसार, न्याय के हित में, अमीन की नियुक्ति का आदेश दिया गया था। इस तरह, सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की आगे की नियुक्ति के लिए आवेदन को तीन बार खारिज कर दिया गया था और यदि पहले कोई आपत्ति नहीं ली गई थी और विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशों को चुनौती नहीं दी गई थी, तो याचिकाकर्ताओं को अपील में इस मुद्दे को फिर से उठाने की अनुमति नहीं है।

20. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि उत्तरदाता/उत्तरदाता ने ही 01.12.2011 को विद्वान विचारण न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 112/2011 में उत्तरदाता की भूमि की माप और सीमांकन के लिए एक सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु याचिका दायर की थी। उत्तरदाता द्वारा उपरोक्त याचिका दायर करने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने 09.05.2012 को एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा निरीक्षण और प्रतिवेदन के लिए सात बिंदु तैयार किए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को छिपाया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 22.01.2013 के आदेश द्वारा उत्तरदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया था और सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का आदेश दिया था। इसी आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सात बिंदुओं में से छह को खारिज कर दिया था। बेशक, याचिकाकर्ताओं ने उक्त अस्वीकृति को किसी भी उच्च न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी। सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता के आदेश 26 नियम 10 (ए) के तहत 06.09.2014 को दायर एक अन्य आवेदन को दिनांक 27.01.2015 के एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 06.02.2018 को पुनः, याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति और पूर्व के प्रतिवेदन को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की। पुनः विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.07.2018 के एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा दिनांक

06.02.2018 को दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिया। उसी आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने न्याय के हित में, एक सक्षम सरकारी अमीन की नियुक्ति का निर्देश दिया। उत्तरदाता पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के एकमात्र और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से, याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर उपरोक्त तथ्यों को दबाया है और वर्तमान दीवानी विविध याचिका में उपरोक्त प्रासंगिक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाया है, और इस कारण से, वर्तमान दीवानी विविध याचिका को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना उचित है। चूँकि याचिकाकर्ताओं ने 22.01.2013, 27.01.2015 और 17.07.2018 के उपरोक्त तीन आदेशों को कभी चुनौती नहीं दी है, इसलिए तीनों आदेश अंतिम हो चुके हैं और अपील में उन पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त तीन आदेशों को चुनौती न देने का स्वैच्छिक आचरण, उनके वैधानिक अधिकारों के साथ-साथ पूर्वन्याय के छूट और स्वैच्छिक त्याग के सिद्धांतों पर सीधा प्रहार करता है।

21. श्री श्रीवास्तव ने ***उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*** के मामले में ***एआईआर 2005 एससी 446*** में पूर्व-न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों के बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 11 में यह माना है कि पूर्व-न्यायिक निर्णय का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। एक ही मामले को दो बार मुकदमेबाजी से बचाने वाला सिद्धांत सामान्य रूप से लागू होता है और इस संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के विशिष्ट शब्दों तक सीमित नहीं है। पूर्व-न्यायिक निर्णय एक ही मुकदमे के दो चरणों के बीच भी लागू होता है, इस सीमा तक कि कोई न्यायालय, चाहे वह विचारण न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, जिसने पहले चरण में किसी मामले का एक तरह से फैसला सुनाया हो, पक्षकारों को उसी कार्यवाही के बाद के चरण में मामले को फिर से उठाने की अनुमति नहीं देगा।

22. श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दिया कि ***डॉ. विजय कुमार जैन (उपरोक्त)***

और ***यासीन गुलाब शिकालकर*** (उपरोक्त) के मामलों पर श्री अरोड़ा द्वारा रखी गई निर्भरता की वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत, वर्तमान मामले में अमीन की प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं हुई है। इसके अलावा, मामले में सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त के साथ-साथ सरकारी अमीन दोनों को नियुक्त किया गया है और उनके प्रतिवेदन को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया है।

23. श्री श्रीवास्तव ने आगे ***दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 2 एससीसी 114*** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह प्रस्ताव था कि कोई वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत का हकदार नहीं है। इसी प्रस्ताव पर, श्री श्रीवास्तव ने आगे ***सर्वपल्ली राधा कृष्णन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2019) 14 एससीसी 761*** में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।

24. श्री श्रीवास्तव ने आगे इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ***बशीद अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में ***एलपीए संख्या 359/2024*** में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसका निपटारा 15.04.2024 को किया गया था, जिसमें न्यायालय ने न्यायालय को गुमराह करने के स्पष्ट प्रयास पर नाराजगी जताई थी।

25. श्री श्रीवास्तव ने ***गोपाल दास एवं अन्य बनाम श्री ठाकुरजी एवं अन्य*** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया, जो ***एआईआर 1943 पीसी 83*** में दर्ज है और ***लक्ष्मी नारायण सिंह एवं अन्य बनाम सरजुग सिंह एवं अन्य*** मामले में दोहराया गया है, जो ***एआईआर 2021 एससी 3873*** में दर्ज है, जिसमें यह माना गया है कि प्रमाण के तरीके के संबंध में दलील पहली बार अपीलीय चरण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि वह उचित चरण में विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई हो। यह भरोसा सरकारी अमीन के प्रतिवेदन के संबंध में रखा गया है, जिसे वादी के कहने पर बिना किसी आपत्ति के

स्वीकार कर लिया गया था। श्री श्रीवास्तव ने आगे दलील दी कि अपीलीय चरण में ऐसी आपत्ति की अनुमति देना निष्पक्षता के नियम के साथ असंगत है।

26. श्री श्रीवास्तव ने आगे इस न्यायालय द्वारा ***सरवन कुमार बनाम अमरेंद्र कुमार एवं अन्य*** के मामले में ***द्वितीय अपील संख्या 34/2015*** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें वादी द्वारा अमीन प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने और न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किए जाने के बिंदु पर भरोसा किया गया था।

27. श्री श्रीवास्तव ने अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर ***जय सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य(2010) 9 SCC 385*** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 15 में यह माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ वैधानिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करें। उच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है कि न्यायालय कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। उच्च न्यायालय को अधीक्षण और/या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त हैं,यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ उच्च न्यायालय में कोई पुनरीक्षण या अपील नहीं की जा सकती। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र, कुछ मायनों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति और अधिकार क्षेत्र से व्यापक है। हालांकि, इस प्रसिद्ध कहावत को याद रखना लाभदायक है कि जितनी अधिक शक्ति, उतनी ही अधिक सावधानी और सतर्कता। इसलिए, उच्च न्यायालय से ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानी, सतर्कता और एहतियात के साथ करने की अपेक्षा की जाती है। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सुविख्यात सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसे "चीनी मिट्टी के बर्तन की दूकान में बैल" की तरह किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय की सभी त्रुटियों को सुधारने के

लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कार्य कर रहा हो। इस सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहाँ आदेश कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा या कानून या न्याय के मूल सिद्धांतों के घोर दुरुपयोग में पारित किए गए हों। अनुच्छेद 42 में आगे यह माना गया है कि उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के दायरे और परिधि में जब भी, जहाँ भी अन्याय पाया जाए, उसे दूर करने की शक्ति है।

28.श्री श्रीवास्तव ने आगे ***श्रीमती शमशाद खातून बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। ***2010 (1) पीएलजेआर 929*** में प्रतिवेदित किया गया, जिसमें छूट और विबंधन के सिद्धांत के बारे में अपीलकर्ता को लेटर्स पेटेंट अपील में मांगी गई राहत का हकदार नहीं बनाया गया था।

29. श्री श्रीवास्तव ने आगे इस न्यायालय के ***उमेश पं. ठाकुर एवं अन्य बनाम नंद कुमार सिंह एवं अन्य, 2016 (3) पीएलजेआर 447*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया कि आपत्ति पहले नहीं ली गई थी और बाद में की गई आपत्ति टिकने योग्य नहीं थी।

30. श्री श्रीवास्तव ने ***पप्पायी अम्मल बनाम सुब्बुलक्ष्मी अम्मल और अन्य*** मामले में ***एआईआर 1983 मद्रास 344*** में दर्ज मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जहाँ एक आयुक्त को वाद की संपत्ति का स्थानीय निरीक्षण करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था और विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई के चरण में उसकी प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलीय न्यायालय द्वारा उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य आयुक्त की नियुक्ति, जिसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, अवैध होगी क्योंकि यह न तो न्याय के हित में है और न ही इसे आदेश 41, नियम 27 या आदेश 26, नियम 9 के प्रावधानों द्वारा धारा 107 के साथ पठित मान्यता प्राप्त है।

31. उपरोक्त अधिकारियों के बल पर, श्री श्रीवास्तव ने दलील दी कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और तथ्यों और कानून दोनों में किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

32. उत्तर में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरोड़ा ने तर्क दिया कि न्यायालय का प्रयास पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निपटारे की ओर होना चाहिए। वर्तमान मामला अतिक्रमण के निर्णय का मामला है और यदि पूर्व की प्रतिवेदनें अपर्याप्त हैं, तो भूखंडों के वैज्ञानिक मापन के लिए सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के आवेदन को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। न्याय और समता के हित में यह आवश्यक है कि भूखंड संख्या 363 के संपूर्ण क्षेत्र के मापन की अनुमति दी जाए, सिवाय पक्षों के कब्जे वाले अलग क्षेत्र के, क्योंकि यह मामले के पूर्ण रूप से निर्णय के लिए आवश्यक है। श्री अरोड़ा ने दोहराया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती न देना या सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त या सरकारी अमीन की प्रतिवेदनों को चुनौती न देना वर्तमान अपीलीय क्षेत्राधिकार में *पूर्वन्याय* नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आदेश अंतरिम आदेश थे और मुकदमे के दौरान पारित किए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ता अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि दोनों प्रतिवेदन निरर्थक हैं क्योंकि न तो सर्वेक्षण अधिकारी अधिवक्ता आयुक्त और न ही सरकारी अमीन ने प्लॉट संख्या 363 के कुल क्षेत्रफल और उसके बाद पक्षों के संबंधित कब्जे के बारे में प्रतिवेदन दी। इसके अलावा, निश्चित बिंदुओं के अभाव में, सर्वेक्षक उत्तरदाता/उत्तरदाता द्वारा अतिक्रमण न करने की प्रतिवेदन कैसे दे सकते हैं? सर्वेक्षकों ने प्लॉट संख्या 363 और उत्तरदाता की 25 कट्ठा भूमि के वास्तविक भौतिक विन्यास के बारे में कभी कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। चूँकि प्लॉट संख्या 363 का कभी सीमांकन नहीं किया गया था और न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिवेदन अपर्याप्त था, इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए एक और प्रतिवेदन मांगना आवश्यक था। श्री अरोड़ा ने आगे दोहराया कि जब तक पूरे प्लॉट

संख्या 364 की माप नहीं हो जाती, तब तक पक्षों के प्लॉटों का सीमांकन करना संभव नहीं था। इसके अलावा, संहिता की धारा 105 के तहत, याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील में सभी आधारों को शामिल किया है। यह आदेश याचिकाकर्ताओं के मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना दिया गया है।

33. मैंने प्रतिद्वंद्वी के निवेदन के साथ-साथ मामले के तथ्यों पर भी विचारपूर्वक विचार किया है। मान लीजिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांकित 22.01.2013,27.01.2015 और 17.07.2018 के आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है।इस प्रकार, इन आदेशों को अंतिम रूप मिल गया है।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***आर.वी.ई. वेंकटचला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. टेम्पल बनाम (2003) 8 एससीसी 752*** के मामले में, दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए निष्पक्ष व्यवहार के नियम के रूप में अपीलीय स्तर पर सबूत के तरीके के संबंध में आपत्ति को अस्वीकार करने के पहलू पर विचार करते हुए, कंडिका **20** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> *"20.....बाद वाले मामले में, आपत्ति तब ली जानी चाहिए जब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और एक बार जब दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाए और प्रदर्श के रूप में चिह्नित कर लिया जाए, तो यह आपत्ति कि उसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अपनाई गई विधि अनियमित है, दस्तावेज़ को प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी चरण में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद वाला प्रस्ताव निष्पक्षता का नियम है। महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या आपत्ति, यदि उचित समय पर ली जाती, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को दोष को दूर करने और ऐसी प्रमाण विधि का सहारा लेने में सक्षम पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विपक्षी पक्ष प्रमाण विधि के बारे में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर, एक त्वरित आपत्ति साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को दो कारणों से प्रतिकूल नहीं बनाती: पहला, यह न्यायालय को अपना विवेक लागू करने और अपना निर्णय सुनाने में सक्षम बनाती है स्वीकार्यता का प्रश्न तत्काल और तत्काल; और दूसरा, यदि न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत*

करने वाले पक्ष के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के तरीके पर निर्णय लिया जाता है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से नियमित साक्ष्य या विधि की अनुमति देने और इस प्रकार विरोधी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति को दूर करने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए उचित है। ऊपर उल्लिखित दो प्रकार की आपत्तियों में से, बाद वाले मामले में, शीघ्र और समय पर आपत्ति न उठाना, किसी दस्तावेज़ के औपचारिक प्रमाण पर जोर देने की आवश्यकता का परित्याग करने के समान है, क्योंकि जिस दस्तावेज़ को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, वह स्वयं साक्ष्य में स्वीकार्य है...।"

35.इसलिए, याचिकाकर्ता अब उसी कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय के समक्ष विवादित भूखंडों के वैज्ञानिक मापन के लिए सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु वही दलील दोबारा नहीं दे सकते।

36. इसके अलावा, ***गोपाल दास*** (उपरोक्त) मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह माना गया है कि सबूत के तरीके के बारे में आपत्ति दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय और उसे प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने से पहले ही ली जानी चाहिए, इस पर अपील नहीं की जा सकती।

37. याचिकाकर्ताओं के लिए अभी तक उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि वे इस मुद्दे को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाएँ और जैसा कि याचिकाकर्ताओं की याचिका से पता चलता है कि अपील के ज्ञापन में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और प्रतिवेदनों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति जताई है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (2007) 11 एससीसी 447*** मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

*"**13.** अपीलकर्ता का इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क देना भी सही है कि अधिनियम की धारा 32-बी के तहत नई कार्यवाही शुरू करने की शक्ति का*

प्रयोग नहीं किया जा सकता था। बेशक, धारा 32-बी बिहार अधिनियम 55, 1982 द्वारा क़ानून में शामिल की गई थी। अपीलकर्ता का मामला अधिनियम में संशोधन और धारा 32-बी के शामिल होने से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क सही है कि अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्य करने और नई कार्यवाही शुरू करने में अपनी चूक का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

***14.** इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान मृत्युंजय पाणि बनाम नर्मदा बाला ससमल [एआईआर 1961 एससी 1353] में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकर्षित किया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह माना था कि जहाँ किसी पक्ष पर कोई दायित्व डाला जाता है और वह ऐसे दायित्व का उल्लंघन करता है, उसे ऐसी स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह लैटिन कहावत कॉमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नीमो हैबेरे डेबेट (कोई भी पक्ष अपने स्वयं के गलत कार्य का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता) पर आधारित है।"*

39. यदि याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त तीन आदेशों दिनांक 22.01.2013, 27.01.2015 और 17.07.2018 को चुनौती नहीं दी है, तो उन्हें अपीलीय स्तर पर मामले को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करना उन्हें अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति देने के समान होगा। इस आधार पर, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सर्वेक्षक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने एक ही प्रार्थना को तीन बार अस्वीकार कर दिया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई है।

40. इसके अलावा, वाद की संपत्ति और पक्षकारों के कब्जे वाले क्षेत्र के

सीमांकन के उद्देश्य से सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त और सरकारी अमीन की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह इंगित करने में विफल रहे हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई राय व्यक्त की है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त थे। यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कोई असमर्थता प्रदर्शित नहीं की गई है और प्रतिवेदनों के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों का गुण-दोष के आधार पर तर्कसंगत आदेशों द्वारा निपटारा किया गया है, एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार, तो उक्त मुद्दे को हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने दिया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं की संतुष्टि तक उनके कहने पर इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी मामले में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला है कि वह मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि साक्ष्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं और यदि उसे ऐसा लगता है, तो वह कानून के अनुसार सर्वेक्षक प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति के लिए हमेशा निर्णय ले सकता है।

41. की गई चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रखी गई निर्भरता याचिकाकर्ताओं के मामले में कोई मदद नहीं करती है क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत मामलों के तथ्यों से काफी भिन्न हैं।

42. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गलत या अवैध कार्य किया है और इस प्रकार यह माना जाता है कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-VI, दानापुर, पटना द्वारा शीर्षक अपील संख्या 79/2019 में पारित दिनांक 17.01.2023 के आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए, इसकी पुष्टि की जाती है।

43. वर्तमान याचिका विफल होती है और तदनुसार, उसे खारिज किया जाता

है।

44. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और जो कुछ भी इससे पहले कहा गया है वह केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के उद्देश्य से है और इसलिए, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर मामले को आगे बढ़ाए और उसे यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा दीवानी विविध संख्या 578/2023 में पारित पूर्व निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपील का यथाशीघ्र निपटारा करे।

45. जहाँ तक तथ्यों को छिपाने या न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप का संबंध है, इस स्तर पर, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और उत्तरदाता इस मुद्दे को संबंधित न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पांडे/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।